न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 44/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 28.03.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रघुवीर मीणा आत्मज श्री किशन मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम पचेलकलां तहसील अन्ता जिला बांरा राज० (मृतक) जरिये कायम मुकामान

1/1. भूपेन्द्र पुत्र स्वर्गीय रघुवीर मीणा जाति मीना
निवासी ग्राम पचेलकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज०

1/2. अरविन्द पुत्र स्वर्गीय रघुवीर मीणा जाति मीणा
निवासी ग्राम पचेलकलां तहसील अन्ता जिला बारां

1/3. श्रीमती मांगीबाई पत्नी स्वर्गीय रघुवीर मीणा जाति मीणा
निवासी ग्राम पचेलकलां तहसील अन्ता जिला बारां

1/4. सीमा मीणा पुत्री स्वर्गीय रघुवीर मीणा पत्नी श्री नरेन्द्र जाति मीणा
निवासी ग्राम कुन्डी तहसील किशनगंज जिला बांरा

1/5. सुलोचना मीणा पुत्री स्वर्गीय रघुवीर मीणा जाति मीणा
निवासी ग्राम पचेलकलां तहसील अन्ता जिला बारां

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मनभर पुत्री श्री किशन पत्नी श्री राधेश्याम जाति मीणा निवासी लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर के पास, नंयागांव रोड, नया भदाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. श्रीमती द्वारका बाई पुत्री श्री किशन पत्नी श्री राधा किशन जाति मीणा हाल निवासी वार्ड नम्बर–3 बम्बोरी पोस्ट अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां राज०

.....रेस्पो0

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक – अपीलांट
श्री ओमप्रकाश नागर अभिभाषक – रेस्पो0 1 एवं 2

15/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

::निर्णय::

दिनांक 15.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 11/2020 बउनवान मनभर बाई वगै0 बनाम रघुवीर मीणा वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2022 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपीलीय प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के समक्ष न्यायालय तहसीलदार अंता के आदेश दिनांक 01.10.2004 मि.नं 33/2004 व नामांतरकरण संख्या 310 दिनांक 04.10.2004 के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 की अपील स्वीकार कर तहसीलदार अंता के आदेश दिनांक 01.10.2004 व नामांतरकरण सं0 310 दिनांक 05.10.2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण श्री किशन के समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाने हेतु निर्णय दिनांक 28.10.2022 से प्रकरण तहसीलदार अंता को प्रतिप्रेषित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2022 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि हुक्म जेर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों से सर्वथा विपरीत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि मृतक खातेदार श्री किशन पुत्र श्री दौला जाति मीणा निवासी ग्राम पचेलखुर्द तहसील अन्ता जिला बारां के शामलाती खाते में 9 किता की 9.98 हेक्टर कृषि भूमि स्थित थी, जिसमें अपीलान्ट के पिता श्री किशन का 1/2 हिस्सा था। श्री किशन के दो पुत्र सुखवीर एवं रघुनाथ अपीलान्ट है। सुखवीर बचपन में ही भैरूलाल जी के गोद चला गया था तथा भैरूलाल जी की मृत्यु होने के उपरान्त उनके 1/2 हिस्से व खाते की भूमि सुखवीर के खाते दर्ज हो चुकी है। श्री किशन के दो पुत्रियां रेस्पो० नं0 1 व 2 क्रमशः मनभर बाई व द्वारका बाई है। खातेदार श्री किशन जी जाति से मीणा थे एवं राजस्थान में मीणा जाति अनुसूचित जन जाति है। अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर उत्तराधिकार के संबंध में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार पुत्र की मौजूदगी में पुत्री

15/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

को हक विरासत प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में रेस्पो० नं० 1 व 2 मृतक खातेदार श्री किशन की उत्तराधिकारी नहीं है। इस कारण उनको प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। श्री किशन सहखातेदार का एक मात्र उत्तराधिकारी रघुवीर मीणा है तथा सुखवीर गोद जाने से श्री किशन का उत्तराधिकारी नहीं है। इस तथ्य पर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर नहीं फरमाने में त्रुटि की है। अपीलान्ट के पक्ष में सहखातेदार श्री किशन द्वारा निष्पादित की गयी वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति करने का रेस्पो० नं0 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रेस्पो० नं० 1 व 2 मृतक खातेदार श्री किशन जी की उत्तराधिकारी नहीं है। श्री किशन जी का एक मात्र प्राकृतिक उत्तराधिकारी अपीलान्ट है, इस तथ्य पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर नहीं फरमाने में त्रुटि की है। रेस्पो नं0 1 व 2 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमति प्रदान करने बाबत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके उपरान्त भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पो० नं० 1 व 2 द्वारा तहसीलदार अन्ता के आदेश एवं नामान्तरकरण के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कानूनन मेनटेनेबल नहीं थी एवं खारिज किये जाने योग्य थी। रेस्पो0 नं0 1 व 2 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में बावजूद जानकारी के 15 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गयी थी। रेस्पो० न० 1 व 2 द्वारा अपील अत्यधिक देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण अधीनस्थ न्यायालय में नहीं बताया गया। इसके उपरान्त भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील प्रस्तुत करने में हुये अत्यधिक विलम्ब को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट अपील विषयक भूमि पर वर्ष 2004 से ही निरन्तर काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज है। रेस्पो० नं० 1 व 2 उपरोक्त भूमि पर काबिज नहीं है, इसके उपरान्त भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ने गवाहान से वसीयत को प्रमाणित कर दिया गया था तथा विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं है। रेस्पो० नं0 1 व 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक एवं अधिकार नहीं है। रेस्पो नं0 1 व 2 श्री किशन की पुत्रियां है, परन्तु खातेदार श्री किशन की कानूनन उत्तराधिकारी नहीं है। इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पो० नं० 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाने में त्रुटि की है। रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 को नामांतरकरण एवं आदेश के विरूद्ध पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है। सर्व प्रथम दिनांक 15.08.2023 को हुक्म जेर अपील की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने हुक्म जेर

15/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिनांक 16.08.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट को हुक्म जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 22.8.2023 को प्राप्त हुई। अपील प्रस्तुत करने में हुई उक्त देरी डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य मानी जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.10.2022 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खातेदार श्री किशन जी जाति से मीणा थे एवं राजस्थान में मीणा जाति अनुसूचित जन जाति है। अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर उत्तराधिकार के संबंध में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को हक विरासत प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में रेस्पो० नं० 1 व 2 मृतक खातेदार श्री किशन जी की उत्तराधिकारी नहीं है। वारिस नहीं होने से प्रभावित पक्षकार नहीं है, इस कारण उनको प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। अपीलान्ट के पक्ष में सहखातेदार श्री किशन द्वारा निष्पादित की गयी वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति करने का रेस्पो० नं0 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रेस्पो० नं० 1 व 2 मृतक खातेदार श्री किशन जी की उत्तराधिकारी नहीं है। साथ ही उक्त वसीयत को फर्जी बताया गया है, किंतु आज तक उक्त वसीयत के विरूद्ध रेस्पो0 क्र. एवं 2 के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। रेस्पो नं0 1 व 2 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमति प्रदान करने बाबत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पो० नं० 1 व 2 द्वारा तहसीलदार अन्ता के आदेश एवं नामान्तरकरण के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कानूनन मेनटेनेबल नहीं थी एवं खारिज किये जाने योग्य थी। रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 को नामांतरकरण एवं आदेश के विरूद्ध पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत करना चाहिए था। रेस्पो0 नं0 1 व 2 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में बावजूद जानकारी के 15 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गयी थी। रेस्पो० न० 1 व 2 द्वारा अपील अत्यधिक देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बतलाया गया। इसके उपरान्त भी

15/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील प्रस्तुत करने में हुये अत्यधिक विलम्ब को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय speaking order की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि एक ही अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया गया, जबकि दोनों आदेशों को चैलेंज नहीं किया गया था। इस प्रकार बिना मूल आदेश दिनांक 01.10.2024 को चैलेंज किये नामांतरकरण सं0 310 दिनांक 04.10.2024 को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.10.2022 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2023(1) Page No. 137, RRT 2021(1) Page No. 705, RRT 2016(2) Page No. 1437, RBJ(13) 2006 Page No. 659, RRD Jan. 2002 Page No. 31, RRD 1988 Page No. 628, RRT 2005(2) Page No. 774, RRT 2017 (2) Page No. 1281 पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.09.2004 को प्रस्तुत रिपोर्ट में मृतक खातेदार श्री किशन के वारिसान का उल्लेख किया गया है, जिसमें रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 का भी उल्लेख है, किंतु इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 को सुनवाई एवं पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अभी मीणा जाति के फौती इंतकाल में लडकियों का नाम आता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के दिनांक 13.09.2004 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का मात्र 18 दिन में निस्तारण कर दिनांक 01.10.2004 को करते हुए पालना महज 4 दिन में करते हुये अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा स्पष्ट रूप से विवेचन करते हुए यह माना है कि रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 श्री किशन की वारिसान है तथा तहसीलदार अंता द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि श्री किशन के समस्त वारिसान की सुनवाई कर नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित करने चाहिए थे। इसी आधार पर प्रकरण तहसीलदार, अंता को प्रतिप्रेषित किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर

15/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

7. हमने अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के समक्ष न्यायालय तहसीलदार अंता के आदेश दिनांक 01.10.2004 मि.नं 33/2004 व नामांतरकरण संख्या 310 दिनांक 04.10.2004 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 की अपील स्वीकार कर तहसीलदार अंता के आदेश दिनांक 01.10.2004 व नामांतरकरण सं0 310 दिनांक 05.10.2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण श्री किशन के समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाने हेतु निर्णय दिनांक 28.10.2022 से प्रकरण तहसीलदार अंता को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रश्नगत कर में न्यायालय हाजा में अपीलांट का तर्क रहा है कि खातेदार श्री किशन जाति से मीणा थे एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर उत्तराधिकार के संबंध में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते है। ऐसी स्थिति में रेस्पो० नं० 1 व 2 मृतक खातेदार श्री किशन जी की उत्तराधिकारी नहीं है। वारिस नहीं होने से प्रभावित पक्षकार नहीं है, इस कारण उनको प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। अपीलान्ट के पक्ष में सहखातेदार श्री किशन द्वारा निष्पादित की गयी वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति करने का रेस्पो० नं0 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पो नं0 1 व 2 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुमति प्रदान करने बाबत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पो० नं० 1 व 2 द्वारा तहसीलदार अन्ता के आदेश एवं नामान्तरकरण के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कानूनन मेनटेनेबल नहीं थी एवं खारिज किये जाने योग्य थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय speaking order की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि एक ही अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया गया। इसके विपरित रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 का तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.09.2004 को प्रस्तुत रिपोर्ट में मृतक खातेदार श्री किशन के वारिसान का उल्लेख किया गया है, जिसमें रेस्पो0 क्र.

15/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

1 एवं 2 का भी उल्लेख है, किंतु इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 को सुनवाई एवं पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अभी मीणा जाति के फौती इंतकाल में लडकियों का नाम आता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के दिनांक 13.09.2004 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का मात्र 18 दिन में निस्तारण कर दिनांक 01.10. 2004 को करते हुए पालना महज 4 दिन में करते हुये अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, जबकि श्री किशन के समस्त वारिसान की सुनवाई कर नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित करना चाहिए था।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति से है तथा जाति से मीणा होने से ऑल्ड हिन्दू लॉ लागू होना प्रकट होता है, इस संबंध में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जो निम्नानुसार प्रतिपादित किये गये है :—

RRT 2023(1) Page No. 137 : - Hindu Succession Act, 1956 – Section 2(2) – Land Acquistion Act, 1894-Section 30 and 4-Acquistion of land-Dispute about the apportionment of compensation amount of Rs. 5,97,35, 754/- Appellants belongs to Scheduled Tribe and being the daughters of Chakradhar claimed 1/5th share in the compensation amount- Reference Court rejected the claim since the Hindu Succession Act is not Applicable in view of Section 2(2) – Daughters cannot claim the share in the compensation amount- Hight Court affirmed the judgement- Appellants amendment is made in Section 2(2)-Held, Appeal dismissed with the direction to the government.

Imp. Point : Daughters belonging to Scheduled Tribe cannot claim any right in the property of father.

RRT 2021(1) Page No. 705: -Hindu Succession Act, 1956-Section 2(2) – Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Sections 135 and 75- Mutation opened in name of the brothers who sold the land to private respondents- Appeal against the mutation filed after about 24 years- Petitioners are the daughters of Dhupla and claimed share in the property-Provision of Hindu Succession Act are not applicable –No evidence that the petitioner's mother also had any right of inheritance- Petitioners changed the stand and averred that they are not from Scheduled Tribe- Such plea is not acceptable at this belated stage- No right conferred on the petitioners –Held, Concurrent findings not interfered with.

Imp. Point : Hindu Succession Act is not applicable in case of persons belonging to Scheduled Tribe.

15/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

RRT 2016(2) Page No. 1437 :- Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 88, 89, 90, 53 & 188-Hindi Succession Act, 1955 Sec. 2-Name of 4 daughters entered in the record & mutation opened in their name –Defendants No. 2 to 5 are member of Scheduled Tribe- Provision of Hindi Succession Act are not applicable-No right to the daughters in the property- Concurrent findings of law Held, Interference declined.

RRD Jan. 2002 Page No. 31 :- Rajasthan Tenancy Act, Sections 88, 188- Hindi Succession Act, 1956, Section 2(2) – Appeal against order of R.A.A. – Held, some facts are admitted facts that property in dispute was ancestral, Mst. 'R' was the wife of khatedar 'S' who did not marry after the death of her husband and who had no son but three daughters – All parties are Scheduled Tribe by case- 'S' died before coming into force of the Hindi Succession Act- Succession will take place according to the Old Hindu Law- Mutation No. 18 was rightly attested in the name of Mst. 'R' and the daughters are not entitled to succession as per old Succession law in case khatedars belonging to Scheduled Tribe/Caste- Order of R.A.A. held legal and justified.

इस प्रकार पक्षकारान जाति से मीणा होने से ऑल्ड हिन्दू लॉ लागू होने के संबंध में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक उद्वरण प्रकरण में चस्पा होते हैं। रेस्पोडेण्ट द्वारा इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया कि मीणा जाति पर ऑल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है, जिसमें पुत्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं होते। साथ ही रेस्पोडेण्ट के द्वारा उक्त वसीयत को किसी सिविल न्यायालय में चुनौती देने का कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

9. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के द्वारा प्रकरण संख्या 11/2020 बउनवान मनभर बाई वगे0 बनाम रघुवीर मीणा वगे0 में दिनांक 28.10.2022 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें एक ही निर्णय से दो आदेशों को निरस्त किया गया है, जो विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होना प्रकट होता है। इस संबंध में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण जो निम्नानुसार प्रतिपादित हैं :–

RRT 2017 (2) Page No. 1281 :- Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 183, 1888 & 88- Suit for ejectment of the respodent No. 5 & 6- Cross suit filed by the respodent No. 5 & 6 was decreed & dismissed the original suit –One appeal filed against two judgments & dismissed by the RAA being barred by resjudicata-Held, One appeal was not maintainable & rightly dismissed.

Imp. Point :- One appeal against two judgements is not maintainable. Petition dismissed.

15/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

10. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रत्येक आदेश को पृथक से चुनौती दी जानी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एक अपील से दो आदेश (तहसीलदार अंता का आदेश दिनांक 01.10.2004 एवं तस्दीक नामांतकरण सं0 310 दिनांक 05.10.2004) निरस्त किए जाने से भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं निरस्तनीय है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 11/2020 बउनवान मनभर बाई वगै0 बनाम रघुवीर मीणा वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2022 अपास्त किया जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

15/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा